छायाप्रति आदेश दिनांकित 30-1-2008

न्यायालय परगनाधिकारी, धौरहरा-खीरी।

- वाद सं0-5 अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 अ0धि0

ग्राम-रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा जिला-खीरी

यशपालचौधरी प्रबन्धक चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर

बनाम

गांव सभा रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा

निर्णय
---------

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा दिनांक-01-01-08 धारा 143 ज0 वि अ0धि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में कहा गया है कि वादी गाटा संख्या 227/1 रकबा 2-232हे0 के संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं तथा काबिज व दखील हैं। भूमि अविवादित हैकहीं बन्धक नहीं है।वादी उक्त भूमि परचौधरी बेचेलाल महाविद्यालय चलान चाहते हैं।अतएव उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराने का अनुरोध चाहा गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार,धौरहरा से आख्या मंगाई गई। लेखपाल की आख्या दिनांक-15-12-2007 संलग्न पत्रावली है। जिसको तहसीलदार द्वारा दि0 29-01-2008 को अग्रसारित किया गया है। निर्धारित प्रारूप पर आख्या मंगाई गई नायब तहसीलदार को आख्या दिनांक-20-12-2007 को तहसीलदार,धौरहरा द्वारा दि0 29-01-2008 को हस्ताक्षरित किया गया है।

लेखपाल की आख्या दिनांक-15-12-07 में कहा गया है कि ग्राम रसूलपुर की वर्तमान खतौनी के अनुसार गाटा संख्या 227/3-347 हे0 लगान 84-90/-रू0 में से गाटा सं0-227/1म/2-232 हे0 भूमि पर चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर के भाग पर विद्यालय का निर्माण है इस भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। गाटा सं0-227/2म/1-116 हे0 पर रसीद खां की भूमि पर गन्ने व लाही की फसल खड़ी हुई पाई गई है।उक्त भूमि अविवादित है।राजस्व अभिलेखों के अनुसार बन्धक नहीं है।भूमि वर्तमान समय में विद्यालय का निर्माण है।जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है।भूमि गाटा सं0-227/1/2-232 हे0 अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रेषित की गई हैजिसको तहसीलदार,धौरहरा द्वारा अग्रसारित किया गया है।

मैंने वादी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी सन् 1410 से 1415 फ0 में खाता सं0-321 की गाटा सं0-227 रकबा 3-347 हे0 लगान 84-90/-रू0 चौधरी महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक श्री यशपालचौधरी पुत्र स्व0 चौधरी बेचेलाल नि0 बेलवा मोती बतौर सं0 भू0 सहखातेदार के रूप में अंकित है।लेखपाल की आख्या अनुसार भूमि पर विद्यालय का निर्माण है।कृषि कार्य नहीं किया जाता है।तहसीलदार धौरहरा द्वारा प्रश्नगत गाटे को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की है गयी है।अतएव उक्त गाटा को अकृषिक घोषित किये जाने में

2 पर

30/1/2008

माल 32782 13-7-22

([2])

कोई विधिक बाधा नही है। भूमि प्रबन्धक समिति की अनापत्ति व उपनिबन्धक कार्यालय भारमुक्त साक्ष्य पत्रावली शामिल मिसल है।

## आदेश

अतः खातौनी 1410 से 1415 फ0 अवस्थित ग्राम रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा खातेदार स्व0 चौधरी महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक श्री यशपाल चौधरी पुत्र स्व0 चौधरी बेचेलाल निवासी बेलवा मोती परगना व तहसील धौरहरा के नाम अंकित गाटा सं0-227/1मि/2-232 हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है।परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धौरहरा को पंजीकृत करने हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 30/01/2008

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
परगनाधिकारी, धौरहरा
खीरी।

यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक- 30/01/2008

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
परगनाधिकारी धौरहरा
खीरी।

प्रतिलिपि अनुभाग कलेक्ट्रेट - खीरी
माल

नकल रजिस्टर की क्रमांक तथा दिनांक 32782/13-7-22
नकल तैयार ............ 13-7-22
टिकट का मूल्य ............ 20
लगभग शब्दों की संख्या 350

प्रतिलिपिकर्ता का नाम / हस्ताक्षर............
मिलानकर्ता का नाम / हस्ताक्षर............

सच्ची प्रतिलिपि

अभिलेखपाल (माल)
कलेक्ट्रेट–खीरी